

## अनुबंध

### आरटीआई वार्षिक विवरणी सूचना प्रणाली

#### तिमाही विवरणी फॉर्म

सार्वजनिक प्राधिकरण : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

मंत्रालय नाम : वित्तीय सेवाएँ विभाग

तिमाही : 4 तिमाही (जनवरी- मार्च) (2017-2018)

#### ब्लॉक I (अनुरोध और अपील का ब्योरा)

			तिमाही के दौरान प्रगति			
	दूसरी तिमाही के आरंभ में प्रारंभिक शेष (जुलाई-सितंबर)	धारा 6(3) के तहत अन्य पीए से स्थानांतरण के रूप में प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य पीए को भेजे गए मामलों सहित)	धारा 6(3) के तहत अन्य पीए को भेजे गए मामलों की संख्या	अस्वीकृत किए गए अनुरोधों/अपीलों पर निर्णय	प्रत्युत्तर दिये गए अनुरोधों/अपीलों पर निर्णय
अनुरोध	75	14	397	0	82	323
पहली अपील	3	लागू नहीं	57	लागू नहीं	44	0
		कुल पदनामित सीएपीआईओ की संख्या 1916	कुल पदनामित सीपीआईओ की संख्या 25	कुल पदनामित एए की संख्या 1		

#### ब्लॉक II (संग्रहीत शुल्क, लगाए गए दंड और की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का ब्योरा)

धारा 7(1) के तहत संग्रहीत पंजीकरण शुल्क (₹ में)	धारा 7(3) के तहत अतिरिक्त संग्रहीत शुल्क (₹ में)	धारा 20(1) के तहत सीआईसी द्वारा निर्देशित किए अनुसार वसूले गए दंड प्रभार (₹ में)	धारा 20(2) के तहत की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलो की संख्या)
1786	238	0	0

#### ब्लॉक III ( मांगी गई सूचना प्रदान न करने पर धारा 8 के विभिन्न प्रावधानों का ब्योरा)

अनुरोध अस्वीकृत करने पर लागू किए गए विभिन्न प्रावधानों की संख्या

आरटीआई अधिनियम 2005 की मुख्य धाराएँ

धारा 8(i)										धारा			
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	9	11	24	अन्य
0	0	0	98	83	1	1	0	0	15	0	0	0	12
<b>ब्लॉक IV (अनिवार्य प्रकटन से संबंधित ब्योरे )</b>													
अ. क्या धारा 4(1) के तहत अनिवार्य प्रकटन को सार्वजनिक प्राधिकरण की वेबसाइट पर दर्शाया गया है? हाँ							वेबपृष्ठ का ब्योरा/यूआरएल उपलब्ध कराएं जहां प्रकटन दर्शाया गया है (अधिकतम 150 अक्षरों में) <a href="http://www.idbi.com/section-4(1).asp">http://www.idbi.com/section-4(1).asp</a>						
आ. धारा 4(1)बी के तहत अनिवार्य प्रकटन की अंतिम दिनांक							19.03.2018						
इ. क्या अनिवार्य प्रकटन को दिनांक 15-04-2013 के डीओपीटी ओएम सं 1/6/2011-आईआर के अनुसार अन्य पक्ष द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है?							नहीं- अन्य पक्ष लेखापरीक्षक की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है.						
ई. धारा 4(1) के तहत अनिवार्य प्रकटन की लेखापरीक्षा की दिनांक (फॉर्मेट - - / - - / - - - - अर्थात तारीख/माह/वर्ष)							लागू नहीं						